भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1547

09.02.2026 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक की खपत कम करने और विकल्पों को बढ़ावा देने हेतु उपाय

1547. श्री पी.सी. मोहन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जुलाई 2022 में राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू होने के बाद से एकल-उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) समग्र प्लास्टिक खपत को कम करने के लिए अपनाए गए उपायों सहित जागरूकता अभियान, अपशिष्ट पृथक्करण पहल और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) पैकेजिंग और दैनिक उपयोग के उत्पादों के लिए बढ़ावा दिए जा रहे व्यवहार्य विकल्पों जैसे जैव-अपघटनीय, कागज-आधारित या अपघटीय सामग्री का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उद्योगों, स्टार्टअप और शहरी स्थानीय निकायों को पर्यावरण-अनुकूल सामग्री और प्लास्टिक पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए विशेषकर कर्नाटक और बेंगलुरू में शुरू किए गए प्रोत्साहन और सहायता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क)**:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 12 अगस्त, 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किया, जिसमें दिनांक 1 जुलाई, 2022 से कम उपयोगिता और उच्च कूड़ा संभावित एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है। पूरे देश में स्थानीय अधिकारियों के साथ-साथ सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान चलाया गया। एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रदान किए गए विवरण और एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, कुल 8,62,356 निरीक्षण किए गए हैं और 1990 टन प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त किया गया है तथा जुलाई, 2022 से जनवरी, 2026 तक कुल 19.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

(ख): प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन को मजबूत करने और चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सभी छत्तीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उन्मूलन और प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव/प्रशासक की अध्यक्षता में विशेष कार्य दल का गठन किया है। चिन्हित की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का उन्मूलन करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने हेतु मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यदल का भी गठन किया गया है।

(ii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निर्देश जारी किए गए हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों, एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रमुख विक्रेताओं/उपयोगकर्ताओं और एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध में प्लास्टिक के कच्चे माल के विनिर्माताओं को भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है।

(iii) देश में एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी निगरानी के लिए, निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालन में हैं: (क) व्यापक कार्य योजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड, (ख) एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन पर अनुपालन के लिए सीपीसीबी निगरानी मॉड्यूल, और (ग) सीपीसीबी शिकायत निवारण ऐप।

(iv) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को फलों और सब्जियों के बाजारों, थोक बाजारों, स्थानीय बाजारों, फूलों के विक्रेताओं, प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली इकाइयों आदि को शामिल करने वाले एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने के लिए कहा गया है। विचलन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करना और जुर्माना लगाना शामिल है।

(ग): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक पैकिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 के माध्यम से दिशानिर्देशों को भी अधिसूचित किया है। ईपीआर, प्लास्टिक पैकिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, कठोर प्लास्टिक पैकिंग के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर ये दिशानिर्देश अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ईपीआर दिशानिर्देश अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संधारणीय प्लास्टिक पैकिंग को बढ़ावा देने के लिए तंत्र प्रदान करता है: (i) पैकेज डिजाइनिंग के पुन: उपयोग को बढ़ावा देना; (ii) पैकेज डिजाइनिंग के पुनर्चक्रण के लिए अनुकूल; (iii) प्लास्टिक पैकिंग सामग्री में पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री और; (iv) पर्यावरण के लिए पैकेज डिजाइनिंग। इन पहलों से प्लास्टिक पैकिंग के प्लास्टिक फुट प्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी।

प्लास्टिक पैकिंग पर केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्लास्टिक पैकिंग पर ईपीआर दिशानिर्देशों के तहत लगभग 58685 उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक तथा 3012 प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधक पंजीकृत हैं। इसके अलावा, 2022 से, संसाधित प्लास्टिक पैकिंग अपशिष्ट की मात्रा 191 लाख टन है।

(घ) तथा (ड़): चिन्हित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध ने अभिनव पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के विकास को गति दी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों ने पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए कदम उठाए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के निर्माताओं/विक्रेताओं का संकलन" तैयार किया है, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 पर जारी किया गया था। यह संकलन पूरे देश में फैले लगभग 1000 इकाइयों का विवरण प्रदान करता है। यह संकलन व्यापक प्रसार और उपयोग के लिए सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पर्यावरण-विकल्पों के विकास को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो ने कृषि उप-उत्पादों से बने खाद्य परोसने वाले बर्तनों के लिए भारतीय मानक आईएस 18267 को पहले अधिसूचित किया था।

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य हितधारक विभागों के साथ समन्वय में, उद्योगों, स्टार्टअप और स्थानीय निकायों को पर्यावरण-अनुकूल सामग्री और प्लास्टिक-पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन और सहायता कार्यक्रम शुरु और लागू किए हैं। कर्नाटक स्टार्टअप नीति और संबद्ध नवाचार कार्यक्रमों के तहत, संधारणीय सामग्री, प्लास्टिक विकल्प, पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों और चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधान के मुद्दों पर काम करने वाले स्टार्टअप को पेटेंट फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, बाजार पहुंच सहायता, इन्क्यूबेशन सुविधाएं और राज्य समर्थित नवाचार निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। कर्नाटक सरकार ने पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए वस्तुओं की खरीद और इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) निविदाओं में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्राथमिकता दी है।

*****